न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–734/2026
CNR No.UPBR01-002929-2025

सुशील कुमार गुप्ता उर्फ डब्लू उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम शिवपुरी, थाना सिरौली, जिला बरेली।

. **.....प्रार्थी/अभियुक्त**

प्रति

उ0 प्र0 राज्य **.....विपक्षी/अभियोजन पक्ष**

अन्तर्गत धारा 115(2), 64(2) बी0एन0एस0
व धारा 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–सिरौली, जनपद–बरेली
मु0अ0सं0–**03/2026**

16.03.2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सुशील कुमार गुप्ता उर्फ डब्लू** को उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से शपथ–पत्र इस आशय का दाखिल किया गया कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, बरेली में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और न ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहााद द्वारा निरस्त किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा/पीड़िता उम्र 50 वर्ष ने दिनांक 03.01.2026 को थाना सिरौली जनपद बरेली पर इस आशय की तहरीर दी कि उम्र 50 वर्ष व जाति की जाटव है। दिनॉक 02.01.2026 को सुबह करीब 11:00 बजे वह ऑवला जाने के लिए घर से निकली थी और पिपरिया मोड़ पर पहुॅची, तो उसे सुशील कुमार गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता, ग्राम शिवपुरी, थाना सिरौली मिल गया, जो पेंशन बनवाने का काम करता है, जिसने उसकी भी पेंशन बनवायी थी, इसलिए वह उसे जानती थी।

फिर वह उसे बाईक पर बैठाकर अपने किराये के कमरे पर आंवला ले गया। वहॉ पहुॅचने के बाद उसने कमरा बंद कर लिया और पैसे के लेनदेन को लेकर हम दोनों में मारपीट हो गयी और उसने उसका सर दीवार में मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी। इसी दौरान सुशील ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया, जब उसे होश आया, तो उसकी साड़ी खुली पड़ी थी। सुशील मौके से चला गया। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादिनी मुकदमा/पीड़िता की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 03.01.2026 को समय 00:14 बजे थाना सिरौली जनपद बरेली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–0003/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 64(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, में अभियुक्त सुशील कुमार गुप्ता के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। बाद विवेचना उपरान्त आरोप–पत्र अभियुक्त सुशील कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा 115(2), 64(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, जो वजादखास तामील में लायी गयी। वादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत आवेदन में आधार लिया है कि उसे रंजिश की विनाह पर झूठा फंसा दिया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा व्यर्थ में दिनॉक 05.01.2026 से जेल में बंद है। कथित घटना की रिपोर्ट विलम्ब से है। पीड़िता एक बालिग एवं समझदार महिला है। उसने पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किया है और न ही बलात्कार का कोई चिकित्सीय साक्ष्य है। गांव की पार्टीबंदी के कारण परिवादिनी ने पुलिस से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा कायम करा दिया है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 तथा 183 बी0एन0एस0एस0 में गम्भीर विरोधाभास है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त किसी भी संज्ञेय अपराध की बाबवत किसी भी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनॉक 05.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रथम जमानत शपथ–पत्र पर बताया गया है। कथन किया है कि उसे रंजिशन फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है। पीड़िता बालिग व समझदार है। कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है। धारा 180 बी0एन0एस0एस0 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में विरोधाभास है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि धारा 180 बी0एन0एस0एस0 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में पीड़िता के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। वादिनी/पीड़िता पर नोटिस तामीला है। परन्तु आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं है।

प्रश्नगत मामले में पीड़िता को 50 वर्ष की महिला बताया गया है। पीड़िता ने अपने चिकित्सीय परीक्षण से इंकार किया है और चिकित्सक को दिये गये अपने बयान में कहा है कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। पीड़िता के द्वारा धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में कथन किया गया है कि अभियुक्त के साथ मोटर साईकिल पर बैठकर उसके कमरे पर गयी थी और अभियुक्त द्वारा अपने पैसे की मांग की गयी और पैसे देने से मना करने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू होना और अभियुक्त सुशील द्वारा उसका सर दीवार में मारा, उसके द्वारा स्वंय को बेहोश होना बताया है और अभियुक्त के द्वारा उसके साथ गलत काम करना बताया है। धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में जो कि विवेचक द्वारा पर्चा सं0–5 में अंकित किया गया है। बेहोश हो जाने और और ऑखों खुलने पर साड़ी खुली हुयी पायी और यह लगा कि उसके साथ गलत काम हुआ होगा, बताया गया है। प्रथम दृष्टया इस स्तर पर जो कथन अभियोजन के द्वारा किये गये हैं धारा 180 बी0एन0एस0एस0 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 में प्रथम दृष्टया विरोधाभास है। अन्य साक्षियों के बयानों में यह कथन आया है कि अधिक उम्र होने के कारण चिकित्सा से इंकार किया गया है। बचाव पक्ष का तर्क कि धारा 180 बी0एन0एस0एस0 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में विरोधाभास है, यह भी तर्क कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया है और न ही बलात्कार का कोई चिकित्सीय साक्ष्य है। चिकित्सक के समक्ष अपने बयानों कोई गलत काम होना नहीं बताया है। अभियुक्त को दिनॉक 05.01.2026 से जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध होना

बताया है।

उपरोक्त तर्कों और अभियुक्त की निरूद्धता को देखते हुये तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये में आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाता हूँ। तद्नुसार आवेदक की और से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक सुशील कुमार गुप्ता उर्फ डब्लू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक को उपरोका अपराध में एक लाख रूपये (1,00,000) के व्यक्तिगत बन्धपत्र के साथ सम्बधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समाधान में समान धनराशि की एक प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित दिनांक तथा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक को न्यायालय में व्यच रूप से उपस्थित रहेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षी को किसी भी प्रकार से डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगा।

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड यू.पी. 6160
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.03.17 10:15:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court